न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौडगढ (राज0)

प्रकरण संख्या– 05/2021 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांकः–14.06.2021

1. श्रीमती उर्मिला बाई पत्नी रमेश चन्द जी जाति पाटीदार आयु 45 साल निवासी केली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
2. श्री गुल मोहम्मद पिता चांद मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी अरनोदा हा0मु0 बरखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल पिता लक्ष्मण जी जाति मीणा आयु 65 साल निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0
2. रामलाल पिता देवीलाल जी जाति भील आयु 45 साल निवासी केली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0
3. बाबरू पिता जगनाथ जी जाति भील आयु 45 साल निवासी मोठा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0
4. तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा राज0।

— विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट</u>

<u>आदेश</u>

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा मोठा प0ह0 केली तहसील निम्बाहेड़ा में खाता सं0 55 की आराजी नं0 1231 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नं0 1232 रकबा 0.3800 हैक्टैयर, आराजी नं0 1235 रकबा 2.3600 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 2.7500 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र. स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/–रू फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा मोठा प0ह0 केली तहसील निम्बाहेड़ा में खाता सं0 55 की आराजी नं0 1231 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नं0 1232 रकबा 0.3800 हैक्टैयर, आराजी नं0 1235 रकबा 2.3600 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 2.7500 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा